

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

य सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

कसोदर नाम श्रीमाधोपुर

द्वारा व. 95 सन 2019

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज्ञ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
--	--

4-4-23

इस जाई तारीख पेशी देरे पर आज पत्रावली पेश हुई। यकुलाव फरिकेन उपस्थित/पीए. अधिकारी सीरे/अन्य कार्य में व्यस्त/पीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26-6-23 को पेश हो।

26⁶/₂₃

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी अनुपास्थित व पक्षकारान अनुपास्थित। पकरण में कोर्ट लभापि तक रक-रक कर बार-बार आवाज दिलवाई गयी। वकील वादी व पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादी व पक्षकारान की अनुपास्थिति में दावा वालत तकरुमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा (अर्का धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली में तल शुमार लेकर वाद तकमील दाखिल हुयी है।

दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)